तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व वाद मुकदमा नम्बर 16/2020 व कन्सुलिडेट (समेकित) वाद मुकदमा नंबर 159/2022 अनवान स्टेट बनाम अकबर अली आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20.02.2025	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित आये है। स्टेट की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश किया गया। प्रतिवादी/ प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस का निवेदन किया गया। प्रकरण संख्या मुकदमा नम्बर 16/2020 व कन्सुलिडेट (समेकित) वाद मुकदमा नंबर 159/2022 में बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रतिवादी/ प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि तहसीलदार (भूमिधारी) श्रीडूंगरगढ को वादगत भूमि के सम्बन्ध में दावा करने का अधिकार नही है। वादगत भूमि नगरीय सीमा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ में स्थित है नगरीय सीमा क्षेत्र की भूमि पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए की उपधारा 8 के तहत तहसीलदार के अधिकार एंवम् कर्तव्य प्राधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका को प्रत्यायोजित कर दिये गये है। इसलिए तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को ऐसी कार्यवाही (दावा) करने का अधिकार नही है। इसलिए यह दावा खारिज किये जाने योग्य है। तृतीय अनुसुची के क्रमाक 67 में धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सम्बन्ध में यह स्पष्ट प्रावधान है कि उक्त धारा के तहत कार्यवाही ऐसी कृषि भूमि को अन्य उदेश्य के लिए उपयोग करने पर तीन वर्ष के भीतर धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही संक्षम न्यायालय में दायर करनी अनिंवार्य है। लेकिन वादगत कृषि भूमि का आवासीय के रूप में उपयोग वर्ष 2012 से ही हो रहा है। ऐसी स्थिति में दावा मियाद बाहर पेश किया गया है। इसलिए उक्त दावा खारिज किये जाने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 177 की उपधारा 2 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसे दावे में अभिधारी व अन्तरिती या उप पट्टेदार के किसी कार्य या लोप या शर्त भंग पर आधारित हो तो ऐसे समस्त अभिधारी व समस्त अन्तरिती को पक्षकार के रूप में संयोजित करना होगा। लेकिन वादगत दावा में वादी द्वारा उक्त कानूनी प्रावधानो का पालन नही करके यह दावा पेश किया है। वादी ने वादगत भूमि के किसी भी अन्तरिती को पक्षकार नही बनाया गया है। ऐसी स्थिति में पक्षकारो के असंयोजन के आधार पर उक्त दावा खारिज किये जाने योग्य है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (क) की उपधारा 5 में वर्णित परन्तुक के अनुसार राज्य सरकार कृषि भूमि को अन्य उदेश्य के लिऐ उपयोग करने या अन्तरित करने वाले व्यक्तियों को बेदखल के स्थान पर राज्य सरकार अधिनियम की धारा 90 (क) की उपधारा 4 के अधीन देय नगर सुधार कर तथा प्रिमियम अदा करने पर उक्त भूमि को अन्य प्रायोजन के लिए अनुमति दे सकेगी। लेकिन वादी ने धारा 90 (क) के उपरोक्त प्रावधानो की पालना नही की	

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:19:24 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

है। ऐसी स्थिति में यह दावा खारिज किये जाने योग्य है। उपरोक्त प्रकरण में प्रतिवादी भागीरथमल पुत्र सुरजमल जाति सोनी की मृत्यु दिनांक 02.12.2022 को हो चुकी है। उनके कायम मुकायम पत्रावली पर आज दिनांक तक नही आये है ऐसी स्थिति मे दावा अबेट हो चुका है। राजस्थान सरकार नगरीय आवासन एंव स्वायत शासन विभाग द्वारा क्रमाक ए 17 (1) नविवि/अभियान/2021 दिनांक 21.04.2022 के द्वारा प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत कृषि भूमि की कॉलोनियों बाबत स्पष्टीकरण बाबत अधिसूचना जारी की गई है। उक्त स्पष्टीकरण के अभिसूचना क्रम संख्या 9 में नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषक प्रयोजनार्थ उपयोग की अनुज्ञा व आंवटन नियम 2012 के नियम 15 (3) अन्तर्गत कृषि भूमि पर बसी हुई कॉलोनीयों में खातेदार द्वारा आवेदन नही करने पर सुओ मोटो 90 ए (8) तथा सर्वे की कार्यवाही कर एंवम निर्धारित सुविधा क्षेत्र रखते हुए लेआउट प्लान स्वीकृत उपरान्त पट्टे दिये जावे। लेकिन वादगत भूमि के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 21.04.2022 के प्रावधानो की पालना नही की गई है व राज्य सरकार द्वारा क्रमाक एफ 3 (54) नविवि/3/2011 पार्ट दिनांक 02.05.2016 की अधिसूचना में भी उपरोक्त प्रावधान किये गये है। लेकिन वादी द्वारा राज्य सरकार की उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्रावधानो की पालना नही की गई है। ऐसी स्थिति में यह दावा खारीज किये जाने योग्य है एवं वादी का दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया एवं अपनी बहस के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैच के न्यायिक दृष्टान्त 2013 (2) आरआरटी 1326 पृष्ठ संख्या 1326 से 1329 पेश किये।

वादी/ अप्रार्थी ने अपनी बहस करतें हुए जवाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। वादगत भूमि नगरीय सीमा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ में स्थित है नगरीय सीमा क्षेत्र की भूमि पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए की उपधारा 8 के तहत तहसीलदार के अधिकार एंवम् कर्तव्य प्राधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका को प्रत्यायोजित कर दिये गये है। इसलिए तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को ऐसी कार्यवाही (दावा) करने का अधिकार नही है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (क) की उपधारा 5 में वर्णित परन्तुक के अनुसार राज्य सरकार कृषि भूमि अन्य उदेश्य के लिए उपयोग करने या अन्तरित करने वाले व्यक्तियों को बेदखल के स्थान पर राज्य सरकार अधिनियम की धारा 90 (क) की उपधारा 4 के अधीन देय नगर सुधार कर तथा प्रिमियम अदा करने पर उक्त भूमि को अन्य प्रायोजन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:19:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

लिए अनुमति दे सकेगी। लेकिन वादी ने धारा 90 (क) के उपरोक्त प्रावधानों की पालना नही की है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 07 नियम 11 की परिधि में आता है। लिहाजा प्रतिवादी/ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:19:24 IST
Reason: SelfAttested